International Journal of Enhanced Research in Educational Development, IJERED,
ISSN: 2320-8708, Vol. 13 Issue 2, Mar.-Apr, 2025

ग्रामीण एवं शहरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति का अध्ययन

तृष्णा नायर[1], डॉ. अज़रा हुसैन[2]

[1]शोधार्थी, (एम.एड.) छात्रा, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, हुडको, भिलाई, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़।
[2]शोध निर्देशिका, उप प्राचार्य, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, हुडको, भिलाई, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़।

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है। किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन और जटिल अवस्था मानी जाती है, जिसमें बालकों और बालिकाओं के समक्ष संवेगात्मक, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक आदि अनेकों प्रकार की समस्याएँ आतीं हैं। ऐसे किशोर जो इन समस्याओं का समाधान कर पाने में स्वयं को असमर्थ महसूस करते हैं, उनमें से कुछ विद्यार्थियों में स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति जन्म लेने लगती है। विद्यार्थियों में आत्महानि की इस अभिवृत्ति को समय पर पहचान कर कारणों का पता लगाना, विद्यार्थियों को आत्महानि के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और आत्मघाती अभिवृत्ति की रोकथाम हेतु विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को परामर्श सेवा उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है।

की–वर्ड :– विद्यार्थियों में स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति, आत्महानि की अभिवृत्ति के कारणों की पहचान, विद्यार्थियों में आत्महानि के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता, आत्मघाती अभिवृत्ति की रोकथाम हेतु परामर्श सेवा।

भूमिका

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005 में 'बिना बोझ के शिक्षा' तथा 'बाल केंद्रित शिक्षा' पर विशेष रूप से बल दिया गया है। साथ ही इसमें शिक्षण कार्य को प्रभावी, रोचक और नवाचार युक्त बनाने की बात कही गई है, जो विद्यार्थियों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने की क्षमता विकसित करने पर बल देती है, जिससे शिक्षण कार्य विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए किया जाए ताकि विद्यार्थियों में अधिगम व जीवन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित हो और उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहे तथा उन्हें तनाव और दबाव युक्त शैक्षिक वातावरण से बचाया जा सके। शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज़्यादा मानसिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। किशोर विद्यार्थियों में पढ़ाई का दबाव, परीक्षा की चिंता, भविष्य की अनिश्चितता, अकेलापन, आत्मविश्वास का अभाव, असफलता तथा अस्वीकृति का डर, संप्रेषण एवं नींद की कमी, भावनात्मक असंतुलन, तात्कालिक व्यवहार परिवर्तन, भोजन संबंधी विकृतियाँ, अस्वस्थ जीवनशैली, सोशल मीडिया से तनाव, नशे की ओर आकर्षण, अवसाद, तनाव, चिंता, गुस्सा और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। किशोरावस्था के विद्यार्थियों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति शिक्षा प्रणाली के समक्ष प्रमुख चुनौती बनकर उभर रही है, जिसके कारणों की पहचान कर उन परिस्थितियों पर नियंत्रण करना आवश्यक है, जो विद्यार्थियों में जीने की आकांक्षा को नष्ट कर रही है।

- **अभिवृत्ति का अर्थ :–**

'अभिवृत्ति' को आंग्ल भाषा में 'Attitude' कहते हैं। अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व की वे प्रवृत्तियाँ हैं, जो उसे किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के संबंध में किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। अभिवृत्ति से अभिप्राय व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से है, जिसके कारण वह किन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, परिस्थितियों, योजनाओं आदि के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। अभिवृत्ति व्यक्ति के मनोभावों और विश्वासों को इंगित करती है।

- **अभिवृत्ति की परिभाषा :–**

1. **रेमर्स समेल तथा गेज के अनुसार,** "अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित वह संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ अथवा वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है।"

2. **फ्रीमेन के अनुसार,** "अभिवृत्ति निश्चित परिस्थितियों, व्यक्तियों तथा वस्तुओं के प्रति संगत रूप से प्रत्युत्तर देने वाली स्वाभाविक तत्परता है, जिसे सीखा जाता है एवं यह किसी व्यक्ति विशेष के प्रत्युत्तर देने की लाक्षणिक विधि बन जाती है।"

- **अभिवृत्ति के प्रकार :–**

1. विशिष्ट अभिवृत्ति
2. सामान्य अभिवृत्ति
3. नकारात्मक अभिवृत्ति
4. सकारात्मक अभिवृत्ति
5. मानसिक अभिवृत्ति

1. विशिष्ट अभिवृत्ति – जो अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, विचार तथा संस्था विशेष के प्रति व्यक्त की जाती है, विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाती है। जैसे – एक छात्र में अपने शिक्षक के प्रति जो सम्मान व श्रद्धा का भाव पाया जाता है, वह उसकी विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाती है।

2. सामान्य अभिवृत्ति – जो अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, विचार आदि के बारे में सामान्य या सामूहिक रूप से व्यक्त की जाती है, वह सामान्य अभिवृत्ति कहलाती है।

3. नकारात्मक अभिवृत्ति – जब हमारा दृष्टिकोण किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या विचार के प्रति सुखद नहीं होता या उसके प्रति प्रतिक्रिया उत्तेजनात्मक होती है, तो वह नकारात्मक अभिवृत्ति कहलाती है।

4. सकारात्मक अभिवृत्ति – जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति विश्वास रखते हैं, उसे पसंद व स्वीकार करते हैं तथा उसके अनुकूल स्वयं को समायोजित करने की चेष्टा करते हैं, तब वह हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति कहलाती है।

5. मानसिक अभिवृत्ति – मानसिक रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में हमारी पृथक्–पृथक् अभिवृत्ति होती है। जैसे – सौंदर्यात्मक अभिवृत्ति, सामाजिक अभिवृत्ति, धार्मिक अभिवृत्ति इत्यादि। इन्हें मानसिक अभिवृत्ति कहते हैं।

- **आत्मघाती कदम का आशय :–**

स्वयं को नुकसान पहुँचाना या जानबूझकर स्वयं को चोट पहुँचाने के लिए किया गया व्यवहार ही आत्मघाती कदम कहलाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा आत्मघाती कदम तब उठाता है, जब वह भावनात्मक रूप से असंतुलित, तनावपूर्ण, चिंतित, अवसादग्रस्त, हतोत्साहित, निराशावादी, हीन भावना से ग्रसित, समायोजन करने में असमर्थ, असुरक्षा की भावना से ग्रसित एवं विफलता की भावना से पूर्ण होता है। स्वयं को चोट पहुँचाने की क्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, जैसे – त्वचा को नुकसान पहुँचाना, स्वयं को शारीरिक एवं मानसिक कष्ट देना, आत्महत्या करना।

- **मानसिक अवसाद के कारण :–**

1. मानसिक विकार
2. मनोवैज्ञानिक कारक
3. आनुवांशिक कारक
4. मादक पदार्थों का सेवन
5. अपराधबोध एवं निराशावादी दृष्टिकोण
6. इच्छाओं का पूर्ण न होना

7. गलाकाट प्रतिस्पर्धा एवं असफलता की भावना
8. आत्मविश्वास की कमी
9. तनाव एवं चिंता
10. दुःखद अनुभूति
11. कुसमायोजन
12. आंतरिक अंतर्द्वंद्व
13. संवेगात्मक असंतुलन
14. आत्म अवमूल्यन आदि।

- **अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण :–**

1. क्रोध, भय, द्वेष, निराशा, अपराधी स्वभाव, चिंता आदि मनोविकारों से रहित होना।
2. स्वयं तथा दूसरों के प्रति सकारात्मक अभिरूचि एवं विश्वसनीय होना।
3. योग्यता एवं क्षमता के आधार पर स्वयं को दूसरों से हीन न समझना।
4. परिवर्तनशील परिस्थितियों में भी समायोजन करना तथा समस्या समाधान व निर्णय लेने की योग्यता होना।
5. नवीन अनुभवों और विचारों के प्रति उत्साह रखना तथा भूतकाल की स्मृति एवं भविष्य की चिंता न करते हुए केवल वर्तमान समय में क्रियाशील रहना।
6. जीवन के प्रति अपने लक्ष्य एवं कर्त्तव्यों को सुनिश्चित करने में समर्थ होना तथा मानसिक द्वंद्व और अवसाद की स्थिति न होना।
7. जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण एवं सकारात्मक अभिवृत्ति का होना।
8. अच्छी एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति का होना।
9. आत्मसंतोषी, आत्मविश्वासी, सहयोगी एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना और असुरक्षा की भावना से रहित होना।
10. तनावमुक्त होना और अपराधबोध की भावना का न होना।

- **शोध अध्ययन की उपयोगिता :–**

➢ विद्यार्थियों को स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति से परिचित कराना।
➢ विद्यार्थियों को स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति की पहचान करने योग्य बनाना।
➢ स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा के विषय में जानकारी प्रदान करना।
➢ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बालकों और बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा से परिचित कराना ताकि उनमें स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति को सुधारा जा सके।
➢ विद्यार्थियों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों से परिचित कराना।
➢ विद्यार्थियों को स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति के कारणों और उनके समाधान की जानकारी प्रदान करना।
➢ विद्यार्थियों को स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति के दुष्प्रभावों की जानकारी प्रदान करना।
➢ विद्यार्थियों को सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य का महत्व बताकर उन्हें अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की व्यक्तिगत और सामाजिक उपयोगिता से अवगत कराना।
➢ विद्यार्थियों को विद्यालय के भीतर एवं बाहर ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे उनमें स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति संबंधी समस्या की पहचान करने की योग्यता विकसित हो और वे इसके निराकरण हेतु समर्थ बन सकें।
➢ विद्यार्थियों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति की समस्या से विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों एवं पालकों को परिचित कराना।

संबंधित शोध अध्ययन :–

1. **रचना भार्गव, (2023), "किशोरों में जानबूझकर खुद को नुकसान पहुँचाने पर अध्ययन"** किया और पाया कि, भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है तथा 15–29 वर्ष की आयु सीमा में आत्महत्या की दर सबसे अधिक है।

2. **समीर हिंदुजा, (2023), "किशोरों में डिजिटल आत्मनुकसान और आत्महत्या पर अध्ययन"** किया और पाया कि, डिजिटल आत्मनुकसान में किशोरों की संलग्नता आत्मघाती विचारों की संभावना में 5–7 गुना वृद्धि और आत्महत्या के प्रयास की संभावना में 9–15 गुना वृद्धि से जुड़ी हुई थी।

3. **अनवर सादथ, (2022), "किशोरों और युवा वयस्कों के बीच अपमान, शर्म, आत्मनुकसान और आत्मघाती व्यवहार के बीच संबंध पर अध्ययन"** किया और पाया कि, पारिवारिक, सहकर्मी संबंधों, बचपन में हुए दुर्व्यवहार और धमकाने जैसी घटना किशोरों के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे बाद में उनमें आत्मनुकसान और आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति जन्म लेने लगती है।

4. **ओलासुम्बो कुकोयी, (2023), "नाइजीरिया के निजी विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के छात्रों के बीच आत्मघाती विचार और आत्मनुकसान को प्रभावित करने वाले कारकों पर अध्ययन"** किया और पाया कि, नाइजीरिया के युवाओं में आत्महत्या के विचार की व्यापकता दर 20% और खुद को नुकसान पहुँचाने की दर 12% है।

5. **यू–जिंग वांग, (2022), "किशोरों में आत्मघाती और आत्मचोट के जोखिमपूर्ण कारकों पर अध्ययन"** किया और पाया कि, स्वयं को चोट पहुँचाने का प्रयास किशोरों में 17.2%, युवाओं में 13.4% और वयस्कों में 5.5% था। सामान्य मानसिक स्वास्थ्य वाले किशोरों की तुलना में बार–बार स्वयं को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करने वाले किशोरों में आत्महत्या का जोखिम 30 गुना अधिक बढ़ जाता है।

6. **होआंग थ्यू लिन्ह गुयेन, (2020), "वियतनाम के स्कूली किशोरों के बीच साइबर बुलिंग, माता–पिता के रवैये, आत्मनुकसान और आत्मघाती व्यवहार के बीच संबंध पर अध्ययन"** किया और पाया कि, जिन किशोरों ने साइबर बुलिंग में शामिल होने की सूचना दी, उनमें आत्मनुकसान और आत्मघाती व्यवहार में संलग्न होने की अधिक संभावना थी।

- **शोध अध्ययन के उद्देश्य :–**

1. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों द्वारा स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति का विस्तृत अध्ययन करना।
2. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति का विस्तृत अध्ययन करना।
3. ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति का विस्तृत अध्ययन करना।
4. शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति का विस्तृत अध्ययन करना।
5. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों द्वारा स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति के कारणों का पता लगाना।
6. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों द्वारा स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति के कारणों और इसके निराकरण हेतु उपायों का पता लगाना।

- **शोध अध्ययन की परिकल्पना :–**

➢ HO_1 – ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

➢ HO_2 – ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों और बालिकाओं की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

➢ HO_3 – शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों और बालिकाओं की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

➢ HO_4 – ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

➢ HO_5 – ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

➢ HO_6 – ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों और शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

➢ HO_7 – ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं और शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

- **शोध अध्ययन की परिसीमा :–**

➢ प्रस्तुत शोध में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया।

➢ अध्ययन हेतु भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अंतर्गत दुर्ग और भिलाई क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का चयन किया गया।

➢ इस शोध अध्ययन हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् 96 विद्यार्थियों का चयन किया गया।

➢ इस शोध अध्ययन हेतु ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् 48 विद्यार्थियों का चयन किया गया।

➢ इस शोध अध्ययन हेतु शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् 48 विद्यार्थियों का चयन किया गया।

➢ इस शोध अध्ययन हेतु ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् 24 बालकों और 24 बालिकाओं का चयन किया गया।

➢ इस शोध अध्ययन हेतु शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् 24 बालकों और 24 बालिकाओं का चयन किया गया।

- **शोध अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण :–**

इस शोध अध्ययन हेतु **डॉ. नीरजा गौतम** द्वारा निर्मित **'स्वयं को नुकसान पहुँचाने की अभिवृत्ति के पैमाने' (ASSH)** का प्रयोग किया गया। इस उपकरण में कुल **46 प्रश्न** सम्मिलित हैं, जो **दर्द की भावना, असुरक्षा, चिंता, आत्म–ग्लानि, निराशा, आक्रामकता** आदि से संबंधित हैं। **जिसे 14–18 वर्ष के किशोर विद्यार्थियों में आत्महानि की अभिवृत्ति को जानने के लिए निर्मित किया गया है।** इस उपकरण में कुल 5 प्रतिक्रियाएँ दी गई हैं, जिनमें से एक का चयन करके किशोर विद्यार्थी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या :–

सारणी क्रमांक – 1 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

तुलनात्मक समूह	कुल संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि (SED)	t मूल्य
ग्रामीण शासकीय विद्यार्थी	48	134.77	17.46	3.41	0.187
शहरी शासकीय विद्यार्थी	48	135.41	16.35		

df = N_1+N_2–2 = df = 48+48–2 = 94

उपरोक्त सारणी क्रमांक – 1 से यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों और शहरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की कुल संख्या (N) क्रमशः 48 एवं 48, तथा मध्यमान (M) 134.77 एवं 135.41, तथा प्रमाणिक विचलन (S.D.) 17.46 एवं 16.35, तथा मानक त्रुटि (SED) 3.41, तथा टी–मूल्य (t) 0.187 प्राप्त हुआ, जो df 94 के लिए सारणीयन मूल्य 0.05 स्तर से कम है, अतः इनमें सार्थक अंतर नहीं पाया गया। **अतः यह परिकल्पना स्वीकृत होती है।**

सारणी क्रमांक – 2 ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों और बालिकाओं की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

तुलनात्मक समूह	कुल संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि (SED)	t मूल्य
ग्रामीण शासकीय बालक	24	138.66	17.11	4.86	1.602
ग्रामीण शासकीय बालिकाएँ	24	130.87	16.92		

df = N_1+N_2-2 = df = 24+24–2 = 46

उपरोक्त सारणी क्रमांक – 2 से यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों और बालिकाओं की कुल संख्या (N) क्रमशः 24 एवं 24, तथा मध्यमान (M) 138.66 एवं 130.87, तथा प्रमाणिक विचलन (S.D.) 17.11 एवं 16.92, तथा मानक त्रुटि (SED) 4.86, तथा टी–मूल्य (t) 1.602 प्राप्त हुआ, जो df 46 के लिए सारणीयन मूल्य 0.05 स्तर से कम है, अतः इनमें सार्थक अंतर नहीं पाया गया। **अतः यह परिकल्पना स्वीकृत होती है।**

सारणी क्रमांक – 3 शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों और बालिकाओं की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

तुलनात्मक समूह	कुल संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि (SED)	t मूल्य
शहरी शासकीय बालक	24	139.29	18.18	4.54	1.707
शहरी शासकीय बालिकाएँ	24	131.54	13.19		

df = N_1+N_2-2 = df = 24+24–2 = 46

उपरोक्त सारणी क्रमांक – 3 से यह ज्ञात होता है कि शहरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों और बालिकाओं की कुल संख्या (N) क्रमशः 24 एवं 24, तथा मध्यमान (M) 139.29 एवं 131.54, तथा प्रमाणिक विचलन (S.D.) 18.18 एवं 13.19, तथा मानक त्रुटि (SED) 4.54, तथा टी–मूल्य (t) 1.707 प्राप्त हुआ, जो df 46 के लिए सारणीयन मूल्य 0.05 स्तर से कम है, अतः इनमें सार्थक अंतर नहीं पाया गया। **अतः यह परिकल्पना स्वीकृत होती है।**

सारणी क्रमांक – 4 ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

तुलनात्मक समूह	कुल संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि (SED)	t मूल्य

ग्रामीण शासकीय बालक	24	138.66	17.11	5.04	0.125
शहरी शासकीय बालक	24	139.29	18.18		

df = N_1+N_2–2 = df = 24+24–2 = 46
उपरोक्त सारणी क्रमांक – 4 से यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों और शहरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों की कुल संख्या (N) क्रमशः 24 एवं 24, तथा मध्यमान (M) 138.66 एवं 139.29, तथा प्रमाणिक विचलन (S.D.) 17.11 एवं 18.18, तथा मानक त्रुटि (SED) 5.04, तथा टी–मूल्य (t) 0.125 प्राप्त हुआ, जो df 46 के लिए सारणीयन मूल्य 0.05 स्तर से कम है, अतः इनमें सार्थक अंतर नहीं पाया गया। **अतः यह परिकल्पना स्वीकृत होती है।**

सारणी क्रमांक – 5 ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

तुलनात्मक समूह	कुल संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि (SED)	t मूल्य
ग्रामीण शासकीय बालिकाएँ	24	130.87	16.92	4.34	0.154
शहरी शासकीय बालिकाएँ	24	131.54	13.19		

df = N_1+N_2–2 = df = 24+24–2 = 46
उपरोक्त सारणी क्रमांक – 5 से यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं और शहरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं की कुल संख्या (N) क्रमशः 24 एवं 24, तथा मध्यमान (M) 130.87 एवं 131.54, तथा प्रमाणिक विचलन (S.D.) 16.92 एवं 13.19, तथा मानक त्रुटि (SED) 4.34, तथा टी–मूल्य (t) 0.154 प्राप्त हुआ, जो df 46 के लिए सारणीयन मूल्य 0.05 स्तर से कम है, अतः इनमें सार्थक अंतर नहीं पाया गया। **अतः यह परिकल्पना स्वीकृत होती है।**

सारणी क्रमांक – 6 ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों और शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

तुलनात्मक समूह	कुल संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि (SED)	t मूल्य
ग्रामीण शासकीय बालक	24	138.66	17.11	4.37	1.629
शहरी शासकीय बालिकाएँ	24	131.54	13.19		

df = N_1+N_2–2 = df = 24+24–2 = 46
उपरोक्त सारणी क्रमांक – 6 से यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों और शहरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं की कुल संख्या (N) क्रमशः 24 एवं 24, तथा मध्यमान (M) 138.66 एवं 131.54, तथा प्रमाणिक विचलन (S.D.) 17.11 एवं

13.19, तथा मानक त्रुटि (SED) 4.37, तथा टी–मूल्य (t) 1.629 प्राप्त हुआ, जो df 46 के लिए सारणीयन मूल्य 0.05 स्तर से कम है, अतः इनमें सार्थक अंतर नहीं पाया गया। **अतः यह परिकल्पना स्वीकृत होती है।**

सारणी क्रमांक – 7 ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं और शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

तुलनात्मक समूह	कुल संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि (SED)	t मूल्य
ग्रामीण शासकीय बालिकाएँ	24	130.87	16.92	5.02	1.677
शहरी शासकीय बालक	24	139.29	18.18		

df = N_1+N_2-2 = df = 24+24–2 = 46

उपरोक्त सारणी क्रमांक – 7 से यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं और शहरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों की कुल संख्या (N) क्रमशः 24 एवं 24, तथा मध्यमान (M) 130.87 एवं 139.29, तथा प्रमाणिक विचलन (S.D.) 16.92 एवं 18.18, तथा मानक त्रुटि (SED) 5.02, तथा टी–मूल्य (t) 1.677 प्राप्त हुआ, जो df 46 के लिए सारणीयन मूल्य 0.05 स्तर से कम है, अतः इनमें सार्थक अंतर नहीं पाया गया। **अतः यह परिकल्पना स्वीकृत होती है।**

प्रस्तुत शोध कार्य के निष्कर्ष :–

- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों और बालिकाओं की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
- शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों और बालिकाओं की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों और शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं और शहरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् बालकों की स्वयं को चोट पहुँचाने की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

संदर्भित ग्रंथ सूची :–

1. https://scholar.google.com
2. https://www.msdmanuals.com
3. https://www.healthychildren.org

4. https://www.healthdirect.gov.au
5. www.scotbuzz.org
6. www.kailasheducation.com
7. कुलश्रेष्ठ एस. पी., (2013), शिक्षा मनोविज्ञान, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, पृष्ठ क्र. –367–376 ।
8. पाठक पी.डी., (2007), शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
9. अस्थाना डॉ. बिपिन, अस्थाना श्वेता, (2005), मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा – 2, पृष्ठ क्र. – 390–392 ।
10. त्रिपाठी जयगोपाल, त्रिपाठी विवेक, (2001), असामान्य मनोविज्ञान, एच. पी. भार्गव बुक हाऊस, आगरा, पृष्ठ क्र. – 353–359, 450–461 ।
11. श्रीवास्तव डॉ. डी. एन., सांख्यिकी एवं मापन, श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा – 2, पृष्ठ क्र. –231–232
12. अग्रवाल डॉ. गोपालकृष्ण, समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृष्ठ क्र. – 34–35, 41–44 ।
13. सिंह डॉ. लाभ, तिवारी डॉ. गोविन्द, असामान्य मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृष्ठ क्र.– 535–544 ।